UPFD010001182021

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–4, फिरोजाबाद।

उपस्थितः– साक्षी शर्मा....."एच०जे०एस०"

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–46/2021

उत्तर प्रदेश सरकार। **..... अभियोजन पक्ष।**

बनाम

शमशाद खान पुत्र मुन्ने खान, निवासी– 49 सोनी ग्लास के पीछे, थाना–रसूलपुर, जिला–फिरोजाबाद।

.....अभियुक्त।

मु०अ०सं०– 347/2019
धारा–135,139 विद्युत अधिनियम।
थाना–रसूलपुर,जिला–फिरोजाबाद।

निर्णय

1– अभियुक्त शमशाद खान के विरूद्ध थाना–रसूलपुर, जिला फिरोजाबाद द्वारा मुकदमा अपराध सं०–347/2019 धारा–135,139 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त का विचारण किया गया।

2– संक्षेप में लिखित तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 10–06–2019 को समय लगभग 05.25 बजे, बस्थान मकान अभियुक्त स्थित मसरूरगंज, थाना–रसूलपुर, जिला फिरोजाबाद में विद्युत चैकिंग दल द्वारा चैकिंग पर पाया गया कि आपने मीटर के अतिरिक्त एल०टी० लाइन से अवैध रूप से केबिल डालकर बिजली चोरी करते हुए पाया गया तथा एल०टी० लाइन में कट लगाकर एल०टी० लाइन को क्षतिग्रस्त किया गया।

3– वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना हाजा में मुकदमा अपराध सं०–347/2019 धारा–135,139 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त के विरूद्ध चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी, जिसका इन्द्राज जी०डी० मुकदमा कायमी में किया

गया।

4– विवेचक द्वारा विवेचना की गयी तथा विवेचक द्वारा गवाहान व अभियुक्त के बयान अंकित किये गये, तथा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार की तदोपरांत सम्पूर्ण विवेचना के पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5– अभियुक्त को विचारण के लिए आहूत किया गया। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया। अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकलें प्रदान की गयीं।

6– अभियुक्त की उपस्थिति में उसके विरूद्ध धारा–135,139 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया, जिससे उसने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू–1 हेड काँ० कैलाश हाल पैरोकार थाना–रसूलपुर, जिला–फिरोजाबाद को द्वितीयक साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया तथा इस साक्षी ने तहरीर प्रदर्श क–1 चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2, जी०डी० मुकदमा कायमी को प्रदर्श क–3, नक्शा नजरी घटना स्थल प्रदर्श क–4 व आरोपपत्र को प्रदर्श क–5 को साबित किया है।

8– अभियुक्त का बयान धारा 313 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य न प्रस्तुत करने का कथन किया गया।

09– मैने विद्युत विभाग तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।

10– अभियुक्त पर आरोप है कि दिनांक 10–06–2019 को समय लगभग 05.25 बजे, बस्थान मकान अभियुक्त स्थित मसरूरगंज, थाना–रसूलपुर, जिला फिरोजाबाद में विद्युत चैकिंग दल द्वारा चैकिंग पर पाया गया कि आपने मीटर के अतिरिक्त एल०टी० लाइन से अवैध रूप से केबिल डालकर बिजली चोरी करते हुए पाया गया तथा एल०टी० लाइन में कट लगाकर एल०टी० लाइन को क्षतिग्रस्त किया गया। अभियुक्त पर लगाये गये अपराध के आरोप को साबित करने के लिए विद्युत विभाग द्वारा पी०डब्लू०–1 हेड काँ० कैलाश, थाना–रसूलपुर, जिला–फिरोजाबाद को परीक्षित कराया गया है।

11– पत्रावली पर विद्युत विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांकित 10–09–2024 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट

होता है कि अभियुक्त द्वारा विद्युत विभाग में राजस्व निर्धारण धनराशि एवं शमन शुल्क जमा करा दी गयी है परन्तु विद्युत विभाग के पैनल अधिवक्ता द्वारा उक्त रिपोर्ट को अग्रसारित करते हुए जुर्माने के प्रावधान से न्यायालय को अवगत कराया गया।

12– तदोपरान्त अभियुक्त द्वारा धारा–139 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया गया है।

13– विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–152 के अन्तर्गत जहां उपभोक्ता एवं विद्युत विभाग के मध्य कोई सुलह समझौता हो गया है और मामले का शमन कर दिया गया है, तो ऐसे शमन का प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–135 का अपराध एक शमनीय अपराध है। विद्युत अधिनियम की धारा–152 के अन्तर्गत विद्युत विभाग ने अभियुक्त के इस अपराध का समाधान कर दिया है और मामला शमित हो चुका है। विद्युत अधिनियम की धारा–152 यह भी उपबन्धित करती है कि जहाँ इस निमित्त सशक्त अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अनुसार शमन शुल्क स्वीकार कर लिया गया है, तो इसका प्रभाव दं०प्र०सं० की धारा–300 के अन्तर्गत दोषमुक्ति समझा जायेगा।

14– अभियोजन द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी समस्त मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के परिशीलन व अवलोकन एवं अभियुक्त द्वारा की गयी स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त आरोपित अपराध धारा–135 विद्युत अधिनियम में दोषमुक्त होने योग्य है परन्तु विद्युत अधिनियम की धारा–139 में दोषसिद्ध होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त शमशाद खान को धारा–135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है तथा विद्युत अधिनियम की धारा–139 के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त का स्वबन्धपत्र निरस्त किया जाता है तथा उसके प्रतिभूओ को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु पेश किया जाये।

दिनाँकः 12–02–2026

(साक्षी शर्मा)
विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–4,
फिरोजाबाद।

<u>लंच बाद–</u>

<u>दिनांक–12–02–2026</u>

अभियुक्त द्वारा कहा गया कि वह बहुत गरीब है तथा उसने विद्युत विभाग में समस्त धनराशि पूर्व में जमा कर दी है। अतः उसकी आर्थित स्थिति को देखते हुए उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये

न्यायालय की राय में पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा विद्युत विभाग की एल०टी०लाईन केबिल को क्षतिग्रस्त करके राजस्व का नुकसान किया गया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अभियुक्त की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति दृष्टिगत रखते हुए धारा–139 विद्युत अधिनियम के अपराध के अन्तर्गत निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त शमशाद खान को विशेष सत्र परीक्षण संख्या–46/2021 मु०अ०संख्या–347/2019 अंतर्गत धारा–139 विद्युत अधिनियम थाना–रसूलपुर, जिला–फिरोजाबाद के अपराध के मुबलिग 2,000/– (दो हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त एक माह का साधारण कारावास भोगेगा।

दिनाँकः 12–02–2026

(साक्षी शर्मा)
विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–4,
फिरोजाबाद।

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनाँकः 12–02–2026

(साक्षी शर्मा)
विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–4,
फिरोजाबाद।